न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 701–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–2–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर रीवा जिला रीवा प्रकरण कमांक 628/अ–12/2006–07.

अभय सिंह तनय विश्वनाथ सिंह
निवासी ग्राम रामदेव सिंह गढ़वा
तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

शीतला सिंह तनय अवधराज सिंह
निवासी ग्राम रामवदेव सिंह गढ़वा
तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री अमित सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री श्यामरोलाल पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/7/—2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर रीवा जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–2–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा भूमि कमांक 22 रकवा 4.51 स्थित ग्राम गढ़वा रामदेव सिंह तहसील नईगढ़ी जिला रीवा द्वारा धारा 129 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा के तहत आवेदन पत्र दिया जिस नायब तहसीलदार सर्किल रामपुर तहसील सर्किल रामपुर तहसील मऊगंज द्वारा पारित 22–7–06 सीमांकन आदेश पारित किया। नायब तहसलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर रीवा के

समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 15–2–12 के द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश यथावत रखा तथा निगरानी निरस्त की। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण अभिभाषक ने लेखी बहस प्रस्तुत की जो प्रकरण में संलग्न की गई। ग्राम रामदेवसिंह गढ़वा में आवेदक निवास नहीं करता और आवेदक नौकरी के सिसिले में बाहर रहता है। लकिन नौकरी से जब वह गांव आया तब उसे सीमांकन आदेश की जानकारी हुई उसके बाद उसने जानकारी दिनांक से अपील समय–सीमा में प्रस्तुत की है। उनके द्वारा तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षण को विधिवत सीमांकन करने हेतु निर्देशित किया जिसके पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना सूचना दिये एवं अवकाश के दिन सीमांकन करने में अवैधानिकता की है। यह भी तर्क दिया कि आराजी कमांक 20, 21 बाडी के अन्दर पत्थर गढ़वा दिये गये है। अनावेदक अब बाढ़ी के अन्दर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। तर्क में यह भी फील्ड बुक में सीमावर्ती भूमियों का दर्शित किया जाना आवश्यक होता है तथा सीमांकन भूमियों व सीमांकन भूमियों व सीमांकित की जा रही भूमि का रकवा किस आराजी से प्रभावित हो रहा है। अत में लिखित बहस में कहा गया कि सीमांकन विधिवत नहीं हुआ है अनावेदक की 0.02 डि0 के लगभग जमीन दबती है इससे सीमांकन विधिवत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु आदेशित किया गया जिसके पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सरहदी कास्तकारों को सूचना दिनांक 6–5–12 को दी गई और दिनांक 7–5–12 को सीमांकन किया गया। दिनांक 7–5–12 को राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के द्वारा मौके पर उपस्थित सरहदी कास्तकारों आवेदक के चाचा शोभनाथ सिंह तिलकराज सिंह तथा ग्राम के अन्रू लोग के सामने पंचनामा

बनाया गया तथा सीमांकन की कार्यवाही कर फील्डबुक, नजरी नक्शा तैयार की गई एवं पत्थर आदि गढ़वाये गये। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया कि निगरानी औचित्यहीन होने से निरसत की जावे।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु आदेशित किया गया है। रिाजस्व निरीक्षक /हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 7–5–06 को प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कर सीमांकन प्रतिवेदन, स्थल पंचनामा, फील्डबुक सहित नायब तहसीलदार को प्रस्तुत किया। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये सीमांकन किया गया है क्योंकि पटवारी द्वारा अपने प्रतिवेदन मं आवेदक को चौदही कास्तकार नहीं बताया है। स्थल पंचनामा दिनांक 7–5–06 में सरहदी कास्तकारों के हस्ताक्षर अंकित है। आवेदक द्वारा विलम्ब के संबंध में लेखी बहस में भी उल्लेख किया है परन्तु उनके द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपर कलेक्टर द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने स्थिर रखा है। अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। अपर कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 15–2–12 स्थिर रखा जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर